Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 156: Recovery through court

Where an amount is to be recovered as if it were a fine imposed under the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer shall make an application before the appropriate Magistrate in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 in **FORM GST DRC-19** to recover from the person concerned, the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 156 : न्यायालय के माध्यम से वसूली

जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबंधों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटी डीआरसी—19 में संबंधित व्यक्ति से तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो।